

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मावली जिला उदयपुर

उनवान

1. श्री नाना पिता मंगला भील निवासी भीलू राणा कच्ची बस्ती उदयपुर।

.....वादी

बनाम

1. श्री रतनलाल पिता मेगा भील निवासी खेमली तह. मावली।
2. श्री काशीराम पिता मेगा भील निवासी खेमली तह. मावली।
3. श्री खेमराज पिता मेगा भील निवासी खेमली तह. मावली।
4. हुडकी पुत्री मेगा भील निवासी खेमली तह. मावली।
5. भेरकी पुत्री मेगा भील निवासी खेमली तह. मावली।
6. फेफी पुत्री मेगा भील निवासी खेमली तह. मावली।
7. दिनेशी पुत्री मेगा भील निवासी खेमली तह. मावली।
8. श्रीमती रमलीबाई पत्नी मेगा भील निवासी खेमली तह. मावली।
9. श्री वेणीराम पिता मोहन भील निवासी खेमली तह. मावली।
10. श्री विनोद पिता मोहन भील निवासी खेमली तह. मावली।
11. डाली पुत्री मोहन भील निवासी खेमली तह. मावली।
12. कान्ता पुत्री मोहन भील निवासी खेमली तह. मावली।
13. जमना पुत्री मोहन भील निवासी खेमली तह. मावली।
14. श्रीमती मांगीबाई पत्नी स्व. मोहन भील निवासी खेमली तह. मावली।
15. श्री मेगा पिता भगा भील निवासी खेमली तह. मावली। (मृतक)
16. श्री मोहन पिता भगा भील निवासी खेमली तह. मावली। (मृतक)
17. श्री खुमा पिता भगा भील निवासी खेमली तह. मावली। (मृतक)
18. श्री सखा पिता भगा भील निवासी खेमली तह. मावली।
19. रामुबाई पुत्री भगा भील निवासी खेमली तह. मावली।
20. कमली पुत्री भगा भील निवासी खेमली तह. मावली।
21. गेन्दी पुत्री भगा भील निवासी खेमली तह. मावली।
22. श्री नाथु पिता कुका भील निवासी खेमली तह. मावली।
23. श्रीमती मोहनीबाई पत्नी भेरा भील निवासी खेमली तह. मावली।
24. श्रीमती केसरबाई पत्नी हेमराज भील निवासी खेमली तह. मावली।
25. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा0 मावली त0 मावली जिला उदयपुर (राज0)।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत :- 53 रा.का.अधि.


मुकदमा नम्बर : 01/18 वाद

निर्णय दिनांक : 10.02.18


सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.02.2018 को जितेन्द्र ओझा, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - मौजा खेमली पटवार हल्का खेमली की आराजी न. 2298, 2299, 2300 किता 3 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि का राजस्व रेकार्ड में अंकित पक्षकारान के मध्य हिस्से एवं कब्जे के आधार पर बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मावली को 500/- रूपया कमिश्नर शुल्क पर बंटवाडा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस दो-दो प्रतियों में पेश किया जावें। रा.का.अधि. में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन किया जावें। फीस कमिश्नर वादी मौके पर अदा करें।

यह आज तारीख 10.02.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(जितेन्द्र ओझा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मावली